

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



मिशन शक्ति 5.0 : नारी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन को लेकर महोबा पुलिस का सशक्त अभियान

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में “मिशन शक्ति अभियान फेज-5” के अन्तर्गत आज दिनांक- 30.12.2025 को जनपद महोबा में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं विश्वास का वातावरण सुदृढ़ करने के उद्देश्य से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया।

“मिशन शक्ति 5.0” अभियान के अन्तर्गत जनपद के समस्त थानों द्वारा प्रमुख बाजारों, कस्बों, चौराहों, स्कूलों/कॉलेजों, बैंकों, धार्मिक स्थलों एवं अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिस कर्मियों की सक्रिय सहभागिता से महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तथा सुरक्षा संबंधी संसाधनों की जानकारी प्रदान की गई।

अभियान के दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई आर्थिक सहायता योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम सम्मान निधि योजना, वन स्टॉप सेंटर, आयुष्मान योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना आदि की जानकारी पंपलेट के माध्यम से दी गई।

महिलाओं को पुलिस विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे वीमेन पावर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, सीएम हेल्पलाइन-1076, स्वास्थ्य सेवा-102, एम्बुलेंस सेवा-108, महिला हेल्पलाइन-181, साइबर क्राइम हेल्पलाइन-1930 आदि के बारे में भी विस्तार से अवगत कराया गया।

महोबा पुलिस द्वारा चलाया गया यह अभियान महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा, आत्मनिर्भरता की सोच और सम्मान का भाव विकसित करने की दिशा में एक सशक्त पहल है।



महोबा पुलिस



मीडिया सेल, महोबा

“सीसीटीएनएस रैंकिंग में महोबा पुलिस का लगातार सातवीं बार पहला स्थान, मुख्यालय तकनीकी सेवाएं ने पुलिस अधीक्षक महोबा सहित टीम को किया सम्मानित”

सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत उत्कृष्ट कार्यप्रदर्शन के आधार पर मुख्यालय तकनीकी सेवाएं, उत्तर प्रदेश द्वारा नवम्बर 2025 के आंकड़ों के अनुसार जारी प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में जनपद महोबा पुलिस ने 100% अंक प्राप्त करते हुए एक बार फिर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि जनपद के लिए लगातार सातवीं बार पहला स्थान है, जो महोबा पुलिस की कार्यकुशलता, त्वरित निस्तारण और तकनीकी दक्षता का प्रमाण है।

इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं, उत्तर प्रदेश श्री नवीन अरोड़ा द्वारा पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह तथा सीसीटीएनएस डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का दायित्व निभा रहे कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी, श्री रहमान रशीद को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। मुख्यालय द्वारा टीमवर्क, उत्तरदायित्व व विभाग की प्रतिष्ठा बढ़ाने हेतु किए गए प्रयासों की सराहना की गई और भविष्य में भी इसी मनोयोग एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की अपेक्षा व्यक्त की गई है।
सीसीटीएनएस क्या है?

सीसीटीएनएस (Crime and Criminal Tracking Network & Systems) एक एकीकृत ऑनलाइन प्रणाली है, जिसके माध्यम से किसी भी अपराध से संबंधित रिपोर्ट, विवेचना की अद्यतन स्थिति, आरोपियों की गिरफ्तारी, केस डायरी से लेकर चालान प्रस्तुत होने तक की सभी आवश्यक कार्यवाही ऑनलाइन दर्ज की जाती है। यह प्रणाली पारदर्शी, तीव्र और प्रभावी पुलिस कार्यप्रणाली का महत्वपूर्ण आधार है।

सीसीटीएनएस रैंकिंग में शामिल प्रमुख पोर्टल इन सभी पोर्टलों पर श्रेष्ठ फीडिंग, समयबद्ध अपलोडिंग तथा सतत मॉनिटरिंग के आधार पर जनपद महोबा को लगातार सातवीं बार पहला स्थान प्राप्त हुआ—

1. CCTNS Portal के IIF Forms
- 2.Training Certificate Portal
- 3.Pared Portal
- 4.Field Unit Portal
- 5.PG Portal
- 6.Foot Patrolling Portal
- 7.CRIMAC Portal
- 8.ICJS Portal
- 9.Crime Analytical Portal
- 10.NAFIS Portal

पुलिस अधीक्षक महोबा एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा के कुशल नेतृत्व में प्राप्त यह उपलब्धि जनपद पुलिस की तकनीकी दक्षता, अनुशासन और त्वरित निस्तारण की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।



महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना कुलपहाड़ की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र व कारतूस की बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक- 30.12.2025 को को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में थाना कुलपहाड़ प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार सिंह के द्वारा गठित की गयी पुलिस टीम उ0नि0 योगेश रावत मय हमराह हे0का0 सुमित कुमार यादव, हे0का0 शिवप्रताप सिंह व का0 गौरव सविता के नेतृत्व में टीम ने थानाक्षेत्र के टिडवा नाला की पुलिया मुढारी – बेलाताल को जाने बाली रोड पर बहुद ग्राम मुढारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा के पास से चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त शैलेन्द्र राजपूत पुत्र बृजलाल राजपूत उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम मुढारी थाना कुलपहाड़ जिला महोबा को मय 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ नियमानुसार गिरफ्तार किया है। बरामदगी/ गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुलपहाड़ में मु0अ0सं0 360/2025 धारा 3/25 आम्स्र अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

शैलेन्द्र राजपूत पुत्र बृजलाल राजपूत उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम मुढारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा।

बरामदगी विवरण:- 01 अदद तमंचा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- उ0नि0 योगेश रावत
- हे0का0 सुमित कुमार यादव 3. हे0का0 शिव प्रताप सिंह 4. का0 गौरव सविता



महोबा पुलिस



मीडिया सेल, महोबा

थाना महोबकंठ पुलिस द्वारा वर्षों से लंबित माल मुतफर्क का विधिक विनष्टीकरण, 91 पोटली माल का नियमानुसार निस्तारण, थाना परिसर में साफ-सफाई व्यवस्था होगी सुनिश्चित...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद में लंबित माल के विधिक निस्तारण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना महोबकंठ पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण कार्यवाही की गई है।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गौड़ के निकट मार्गदर्शन में, उपजिलाधिकारी कुलपहाड़ से प्राप्त माल विनष्टीकरण आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 30.12.2025 को थाना महोबकंठ में दाखिल माल मुतफर्क (पर्चा जात मृतकगण) का नियमानुसार विनष्टीकरण किया गया।

उक्त कार्यवाही प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार की उपस्थिति में संपन्न हुई, जिसमें कुल 91 पोटली माल मुतफर्क, जो किसी भी आपराधिक प्रकरण से संबंधित नहीं था, का विधिवत निस्तारण किया गया।

वर्षों से संचित अनुपयोगी माल के विनष्टीकरण से थाना परिसर में साफ-सफाई, सुव्यवस्था एवं अभिलेखीय प्रबंधन में उल्लेखनीय सुधार होगा, साथ ही भविष्य में माल प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

जनपद पुलिस द्वारा आगे भी इस प्रकार की विधिक एवं प्रशासनिक कार्यवाहियां सतत रूप से जारी रहेंगी।



महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



कुलपहाड़ पुलिस की जुआ के विरुद्ध कार्यवाही, सार्वजनिक स्थान पर जुआ

खेलते हुए 05 अभियुक्त गिरफ्तार, ₹6370 नगद व ताश के पत्ते बरामद

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के आदेशानुसार एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन में जनपद में अवैध जुआ एवं सट्टा की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जनपद महोबा की थाना कुलपहाड़ पुलिस द्वारा दिनांक- 29.12.2025 की सायं को अवैध जुआ के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई है।

क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्वेशण में प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा गठित पुलिस टीम, उ0नि0 श्रीकृष्ण वैश्य, उ0नि0 अनिल कुमार यादव, हे0कां0 चन्द्रजीत तथा कां0 बिनोद कुमार, कां0 अभिषेक सक्सेना के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुढ़ारी रेलवे क्रासिंग के आगे झाड़ियों में, ग्राम मुढ़ारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा के पास सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों के कब्जे से मालफड़ ₹4410, जामातलाशी ₹1960 (कुल ₹6370) तथा 52 अदद ताश के पत्ते बरामद किए गए।

अभियुक्तगणों को मौके पर ही जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कुलपहाड़ में मु0अ0सं0 359/2025, धारा 13 जुआ अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 श्रीकृष्ण वैश्य
- उ0नि0 अनिल कुमार यादव
- हे0कां चन्द्रजीत
- कां0 बिनोद कुमार
- कां0 अभिषेक सक्सेना

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :

- नईम पुत्र मोहम्मद उसमान, उम्र 40 वर्ष, निवासी नजरबाग, कस्बा व थाना कुलपहाड़
- प्रेम नारायण चौरसिया पुत्र किशनलाल, उम्र 48 वर्ष, निवासी कस्बा व थाना कुलपहाड़
- अरसद अंसारी पुत्र इसराज, उम्र 34 वर्ष, निवासी नजरबाग, कस्बा व थाना कुलपहाड़
- अमोद कुमार पुत्र जयराम, उम्र 55 वर्ष, निवासी पुरानी तहसील के पास, कुलपहाड़
- शोएब पुत्र शाबिर अंसारी, उम्र 35 वर्ष, निवासी सतियनपुरा, कस्बा व थाना कुलपहाड़

बरामदगी-

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों के कब्जे से मालफड़ ₹4410, जामातलाशी ₹1960 (कुल ₹6370) तथा 52 अदद ताश के पत्ते बरामद किए गए।

